क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

Enforcement of Security Interest वाद सं0-01/2015

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा सिटी शाखा बनाम सीता राम यादव

-: आदेश :-

12-09-2018

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा सिटी शाखा ने Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा-14 के अधीन अपने बकायेदार की सम्पत्ति अधिग्रहित करने हेतु बकायेदार के सम्पत्ति का विवरण सहित दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु आवेदन दिनांक 18-12-2015 को दाखिल किया गया है। बकायेदार का नाम/ पता तथा सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

बकायेदार का नाम/ पता	सम्पत्ति का ब्यौरा
श्री सीताराम यादव पे0 श्री महावीर यादव, सा0 भीरखी (रेलवे स्टेशन रोड), वार्ड नं0-22, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा-852113.	सेल डीड नं0-2498 दिनांक 04-01-2010. मौजा मधेपुरा वार्ड नं0-15, थाना नं0-65, खाता नं0-204(पु0), 114(न0), खेसरा नं0-190(पु0), 318(न0), जमाबंदी नं0-1367, तौजी नं0- 5448, रकवा-01 कट्ठा 10 धूर, चौहद्दी- उ0- स्वयं, द0- अरुनन्दन यादव, पू0- बैंक, प0- अनिल यादव।

दिनांक 20-09-2016 को बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनका पक्ष सुनकर उक्त बकायेदार को इस न्यायालय के डी0वी0नं0 722/न्या0, दिनांक 23-09-2016 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा नोटिस तामिला हेतु इस न्यायालय के डी0वी0नं0-722/न्या0, दिनांक 23-09-2016 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेजा गया। बकायेदार को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11-11-2016 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उक्त तिथि को बकायेदार उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद दिनांक 20-12-2016, 03-03-2017, 29-04-2017, 03-06-2017, 21-07-2017 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, परन्तु बैंक प्रतिनिधि एवं बकायेदार स्वयं या उनके विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 25-08-2017 को भी उभय पक्ष की उपस्थिति नहीं रहने के कारण वाद को खारिज कर दिया गया, जिसकी सूचना संबंधित बैंक को दे दी गई। दिनांक 10-10-2017 को शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा सिटी ब्रांच ने उपस्थित होकर उक्त वाद को पुर्नजीवित करने हेतु आवेदन दाखिल किया, जिस पर सम्यक रूप से विचार करते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात् वाद पुर्नजीवित कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई। दिनांक 26-05-2018 को बैंक के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण अगली सुनवाई की तिथि को उपस्थित रहने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। इसी बीच बैंक के प्रतिनिधि ने दिनांक 14-06-2018 को अगली सुनवाई की तिथि में परिवर्त्तन कर नजदीक की तिथि निर्धारण हेतु आग्रह किया। सुनवाई उपरान्त अगली तिथि 19-06-2018 निर्धारित की गई। उक्त तिथि को बैंक प्रतिनिधि को विस्तार से सुना गया। इतने अवसर दिए जाने के वावजूद भी बकायेदार अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। बकायेदार के नाम से पुनः नोटिस निर्गत करने एवं तामिला सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इस न्यायालय के डी0वी0नं0-314 दिनांक 21-06-2018 के बकायेदार के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला दिनांक 20-07-2018 को प्राप्त हुआ। सुनवाई के समय फिर भी बकायेदार उपस्थित नहीं हुए। बैंक प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि वे बकायेदार के संबंध में विस्तृत विवरण अगली तिथि को प्रस्तुत करे। दिनांक 07-08-2018 को ऋणी को दिए गए ऋण से संबंधित विस्तृत विवरण न्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त तिथि को जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आहुत बैठक में व्यस्तता के चलते न्यायालय कार्य स्थगित करनी पड़ी। दिनांक 10-08-2018 को बकायेदार(प्रतिवादी) उपस्थित नही हुए। यह मामला लगभग तीन वर्षो से विचाराधीन चलता आ रहा है। अभिलेख परिसीलन से स्पष्ट है कि किसी भी तिथियों में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहते हैं। तदोपरान्त एकपक्षीय सुनवाई प्रारंभ की गई। बैंक प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि ऋणी अपना पक्ष न्यायालय में रखना नहीं चाहते हैं, जबकि उन्हें नोटिस हस्तगत कराया जा चुका है। ऋणी को बैंक के द्वारा दिनांक 04-04-2013 को कुल मो0 3,75,000/-रू0 ऋण स्वीकृत किया गया किया था, जिसका अदायगी हेतु किश्त मो0 4177/-रू0 प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। ऋणी द्वारा मो0 1,13,200/-रू0 मात्र ही चुकता किया है। नवम्बर 2014 से किश्त देना बंद कर दिया है। इसके एवज में बैंक के द्वारा 13/2 का नोटिस दिनांक 12-05-2015 को निर्गत किया गया। इसके बाद भी ऋणी बैंक में उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरूद्ध 13/4 का नोटिस निर्गत किया गया। इन सारी प्रकियाऐं पूर्ण करने के बाद ऋणी पर ऋण बकाया रह जाता

है। ऐसी स्थिति में बैंक ऋण वसूली हेतु बैंक के पास मॉर्गेज किया गया सम्पत्ति जप्त करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रह गया है, जिसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया है। इसलिए बैंक प्रबंधन द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए बकायेदार के मार्गेज सम्पत्ति का अधिग्रहण करने हेतु दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का आदेश पारित किया जाय।

उल्लेखित परिस्थिति में एकपक्षीय सुनवाई पूर्ण की गई। बैंक के उपस्थित प्रतिनिधि ने अपना पक्ष विस्तार से रखा है। न्यायालयं द्वारा नोटिस निर्गत किए जाने एवं नोटिस प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखना इस बात को दर्शाता है कि बकायेदार ऋण चुकता नहीं करना चाहते हैं और न्यायालय नोटिस के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसलिए ऐसे बकायेदार के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। संदर्भगत मामले में Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 की धारा-14 में Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset को निम्नरूपेण विश्लेषित किया गया है:-

1. Where the possession of any secured asset is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured asset is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provision of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him- (a) take possession of such asset and documents relating thereto, and (b) forward such asset and documents to the secured creditor.
2. For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section(1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion be necessary.

अतः शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिटी शाखा, मधेपुरा के [illegible] [illegible] नियमानुसार [illegible] [illegible] के सम्पत्ति अधिग्रहण करते समय विधि-व्यवस्था कायम रखने हेतु अंचल अधिकारी, मधेपुरा को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिटी शाखा, मधेपुरा को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से नियमानुसार पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध करेंगे। अधिग्रहण की कार्रवाई जिस दिन की जाएगी, उसकी विधिवत सूचना अंचल अधिकारी, मधेपुरा को देंगे।

अंचल अधिकारी मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अधिग्रहण स्थल पर उपस्थित रहकर लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ उभय पक्ष को भेजें तथा एक प्रति मधेपुरा के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।

ज्ञा० नं० 10582/विधि, मधेपुरा, दिनांक 15/09/2018

प्रतिलिपिः श्री सीमाराम यादव, पे0-श्री महावीर यादव, सा0-भिरखी, रेलवे स्टेशन रोड वार्ड सं0-22, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिटी शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(87)

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी-मधेपुरा